संख्या- /X-2-2012-12(31)/2007

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 21 नवम्बर, 2012

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण" के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-नि0-620/3-10 (13वाँ वि0आ0) दिनांक 01 अक्टूबर 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित **"13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण"** योजना के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु **₹7,50,00,000/-(₹ सात करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि आपके पत्रांक-सख्या-क-786/3-10, दिनॉक 27 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के कियान्वयन के लिए न किया जाय.

(2) 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण योजना में निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से कराये जाने वाले कार्य भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन के पत्र संख्या-F.9(1)FCD/2010 दिनॉक 07.09.2010 के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार की जायेगी तथा इसका व्यय नियंत्रण, अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा आदि कार्य भी उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुसार ही किये जाने आवश्यक एवं अनिवार्य होगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

(8) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(9) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(10) धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

(11) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(12) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशि की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

(13) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1211270767 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

(14) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथाआवश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)/2011, दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाएगी और उन्हें समय समय पर अध्यावधिक किया जाएगा ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिक 800-अन्य व्यय 0109-13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण योजना हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामें डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु ऑन लाइन बजट आवंटन की हार्ड कापी भी संलग्न है:-

(धनराशि ₹ हजार में)

मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति	अभ्युक्ति
08-कार्यालय व्यय	11200	0	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	11000	5000	
18-प्रकाशन	2500	0	
25-लघु निर्माण कार्य	138460	14000	
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1360	0	
29-अनुरक्षण	70270	56000	
42-अन्य व्यय	40310	0	
44-प्रशिक्षण व्यय	1	0	
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1	0	
योग:-	275102	75000	

(वर्तमान स्वीकृति ₹ सात करोड़ पचास लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0- 109(i)(P)/XXVII(4)/2012, दिनांक 20नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है.

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

1795
संख्या-   (1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल.
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. 13वॉं वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - S1211270167

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1211270167

आवंटन पत्र दिनांक - 21-Nov-2012

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक - 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

800 - अन्य व्यय

01 - वानिकी

09 - 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योज

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	0	5000000	5000000
25 - लघु निर्माण कार्य	0	14000000	14000000
29 - अनुरक्षण	0	56000000	56000000
	0	**75000000**	**75000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 75000000